अत्यावश्यक
बाढ़ पूर्व तैयारियाँ

पत्रांक–1प्रा0आ0–13/2016 3297 /आ0प्र0
बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 1/9/16

विषयः **संभावित बाढ़ के आलोक में बाढ़ राहत/बचाव उपकरणो एवं संसाधनों की व्यवस्था के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मॉनसून की अवधि 15 अक्टूबर तक मानी जाती है। माह जुलाई–अगस्त में राज्य से गुजरने वाली गंगा, सोन, महानन्दा, कोसी आदि के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण राज्य के कतिपय जिले भीषण बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कटिहार में दूसरे चरण में गंगा नदी में बाढ़ के कारण काफी भू–भाग प्रभावित हुआ है। अवगत हैं कि वर्त्तमान में राज्य के नदियों में अत्यधिक पानी आने के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। 15 अक्टूबर तक नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना बनी रहती है जिसके कारण पुनः राज्य में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

वर्त्तमान बाढ़ में बाढ़ग्रस्त जिलों में संसाधनों की कमी के कारण संसाधनों को एक जिले से दूसरे जिले को भेजना पड़ा है, जिसके कारण गैर–बाढ़ग्रस्त जिलों में भी उपलब्ध संसाधनों की कमी हुई है। साथ ही उन जिलों में भी बाढ़ आयी है जिन्हें परंपरागत रूप से बाढ़ प्रवण नहीं माना जाता।

अतएव अनुरोध है कि वे सभी जिले जहाँ से कोई भी नदी गुजरती हो, वे उन नदियों में बाढ़ की संभावना मानकर बाढ़ आपदा प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप बाढ़ पूर्व तैयारियों की सघन एवं सूक्ष्म समीक्षा कर लें एवं तद्नुसार आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था रखें। बाढ़ पूर्व तैयारियों एवं बाढ़ के दौरान प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था हेतु वर्त्तमान बाढ़ से निपटने हेतु की जा रही कार्रवाईयों से सीख ली जा सकती है। यदि बाढ़ पूर्व तैयारियों के लिए राशि की आवश्यकता हो तो विभाग से राशि की अधियाचना कर ली जाय।

साथ ही वर्त्तमान में आयी बाढ़ के कारण बाढ़ प्रभावित जिलो को अन्य जिलों से भेजी गए नावों को आवश्यकता समाप्त हो जाने पर संबंधित जिला को वापस करने हेतु भी आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
1/9/16
(अनिरूद्ध कुमार)
संयुक्त सचिव